Law of crime

प्र०-1 चोरी की आवश्यक तत्व क्या है तथा यह भी बताइए भी बताइए कि कब चोरी का अपराध लूट कहलाता है!

378. चोरी-जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिये हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1-जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक् हो जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।

(क) य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ, ज्यों ही क ने इस प्रकार लेने के लिये उस वृक्ष को पृथक् किया, उसने चोरी की।

(ख) क अपनी जेब में कुत्तों के लिये ललचाने वाली वस्तु रखता है, और इस प्रकार य के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिये उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना आरम्भ किया, क ने चोरी की।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

तत्व- इस धारा के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं-

(1) सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय;

(2) सम्पत्ति चल हो;

(3) सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से लिया जाये;

(4) सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति लिये बिना लिया जाये;

(5) सम्पत्ति को लेने के लिये उसे उसके स्थान से कुछ दूर हटाया (moving) जाये ।

बेईमानी पूर्वक लेने का आशय-आशय ही चोरी के अपराध का मूल तत्व है। सम्पत्ति लेने का आशय बेईमानीपूर्ण होना चाहिये और इसका उस समय इसी रूप में विद्यमान रहना आवश्यक है जिस समय सम्पत्ति हटायी जा रही हो। चूंकि चोरी का अपराध गठित करने के लिये सम्पत्ति को उसके स्थान से कुछ दूर हटाया जाना आवश्यक है अतः सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय सम्पत्ति हटाते समय ही विद्यमान होना चाहिये। बेईमानीपूर्ण आशय को उस समय अस्तित्व में समझा जायेगा जब सम्पत्ति लेने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति को सदोष लाभ या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित करना चाहता है। यह आवश्यक नहीं है कि सम्पत्ति लेने वाले व्यक्ति को ही सदोष

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

लाभ पहुँचे, इतना ही पर्याप्त होगा, यदि वह सम्पत्ति के स्वामी को सदोष हानि कारित करता है। अत: यह तर्क प्रस्तुत करना कि अभियुक्त का आशय अपने आप को लाभ पहुंचाना नहीं था, उसे किसी प्रकार का बचाव नहीं प्रदान कर सकेगा।

यह आवश्यक नहीं है की संपत्ति स्थायी रूप से ली गयी हो- इस धारा के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है की संपत्ति स्थायी रूप से ली गयी हो या अपनाने के आशय से ली गयी हो। चोरी समट्टी के स्वामी को संपत्ति से स्थायी रूप से वंचित न करने के आशय से भी कारित की जा सकती है।

उदाहरणार्थ अ एक लड़के ब से जैसे ही वह स्कूल से बाहर आता है कुछ पुस्तकें छीन लेता है कर उससे कहता है कि पुस्तकें तभी वापस होंगी जब वह उसके घर आएगा। अ इस धारा के अंतर्गत चोरी का अपराधी है। यदि कोई व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति के कब्जे से उसकी कोई चल संपत्ति कुछ देर के लिए इस आशय से ले लेता है की बाद में उन्हें लौटा दिया जायेगा, वह इस धारा के अंतर्गत चोरी का अपराधी है। **प्यारेलाल के वाद में** अभियुक्त एक सरकारी कार्यालय में कर्मचारी था। उसने अपने कार्यालय से एक फ़ाइल हटाकर एक बहरी व्यक्ति को इस शर्त पर उपलब्ध कराया की 2 दिन के पश्चात वह फ़ाइल कार्यालाय को वापस लौटा दी जाएगी। उसे इस धारा केंद्र का दोषी घोषित किया गया। अपने घर में अपनी गाड़ी भूल गया है जो ब को मिली। ब उस घड़ी को तुरंत कॉल उठाने के बजाय उसे अपने घर ले गया

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

और है तब तक अपने पास रखा जब तक कि वहां से पैसा इनाम के रूप में नहीं प्राप्त कर सका। ब इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा

चल सम्पत्ति-ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी हो या स्थायी रूप से किसी ऐसी वस्तु से जुड़ी हो जो स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी है अचल सम्पत्ति के नाम से जानी जाती है। अतः उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु चल सम्पत्ति होगी। स्पष्टीकरण 1 तथा 2 इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि भूमि से जुड़ी हुई कोई वस्तु भी उस समय चल सम्पत्ति बन जाती है जब उसे भूमि से अलग कर दिया जाता है और अलग करने का कार्य चोरी के सदृश्य है। अत: एक चोर जो भूमि से किसी वस्तु को अलग कर ले जाता है उसी तरह दण्डित किया जायेगा जिस तरह पहले से अलग की गई वस्तु को ले जाने वाला चोर। इस धारा के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि चोरी में गयी वस्तु का कुछ मूल्य हो। विद्युत तार में प्रवाहित, विद्युत चल सम्पत्ति नहीं है अत: बेईमानी से इसका अपकर्षण इस संहिता के अन्तर्गत चोरी नहीं है। परन्तु इसके लिये भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 के अन्तर्गत वाद दायर किया जा सकता है। पाइपों से गुजरने वाली खाना पकाने की गैस को चल सम्पत्ति माना गया है । अतः यदि अभियुक्त प्रवेश पाइप में एक दूसरा पाइप लगाकर इस उद्देश्य से गैस इस्तेमाल करता है ताकि गैस मीटर से गुजरे बिना चूल्हे में पहुँच जाये और वह कम्पनी को गैस की कीमत का भुगतान करने से बच जाये तो वह इस धारा के अन्तर्गत चोरी का दोषी है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

3. **संपत्ति को किसी के कब्जे से लिया जाये** - संपत्ति का अभियोजन के आधिपत्य में होना अनिवार्य है। आधिपत्य स्वामी के रूप में हो सकता है या अन्यथा । अतः जंगली पशु कभी भी चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकते, जबकि पालतू जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की चोरी की जा सकती है। दृष्टान्त (छ) यह स्पष्ट करता है कि जहाँ बेईमानी से ली गयी सम्पत्ति किसी व्यक्ति के आधिपत्य में नहीं थी क्योंकि उसके स्वामी की मृत्यु हो चुकी थी या सम्पत्ति खो गयी थी और किसी व्यक्ति ने उसकी माँग नहीं किया था, इन दशाओं में आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध गठित होता है न कि चोरी का अपराध। कोई चल सम्पत्ति उस समय किसी व्यक्ति के आधिपत्य में मानी जाती है जब वह व्यक्ति उस सम्पत्ति के सन्दर्भ में ऐसी स्थिति में हो कि वह उसके स्वामी के रूप में अन्य व्यक्तियों से अलग उससे संव्यवहार कर सके।

4. बिना सहमति के लेना-चोरी का अपराध गठित करने के लिये यह आवश्यक है कि सम्पत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना ली गई हो जिसके कब्जे में थी। स्पष्टीकरण 5 तथा दृष्टान्त (ड) तथा (ढ) इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि सहमति अभिव्यक्त या प्रलक्षित हो सकती है और ऐसी सहमति या तो उस व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जो सम्पत्ति को धारण किये हुये है या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। मिथ्या प्रदर्शन द्वारा ली गई सम्मति जिससे तथ्य के विषय में भ्रम हो जाता है, वैध सम्मति नहीं होगी 26 यदि किसी जंगल में आवश्यक शुल्क का भुगतान

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S National College Of Law

किये बिना कोई व्यक्ति लकड़ी हटाता है, तो भले ही जंगल इन्स्पेक्टर ने इस प्रकार लकड़ी हटाये जाने के लिये अपनी सम्मति दे दिया हो, इस धारा के अन्तर्गत चोरी का अपराधी होगा, क्योंकि इन्स्पेक्टर सरकारी कर्मचारी था और उसके द्वारा लकड़ियों का आधिपत्य सरकार का आधिपत्य था, अत: इन्स्पेक्टर की सम्मति अप्राधिकृत और कपटपूर्ण थी।

5. सम्पत्ति का हटाया जाना-जैसे ही किसी बेईमानीपूर्ण आशय से सम्पत्ति को हटाया जाता है यह अपराध पूर्ण हो जाता है। सम्पत्ति का उसके स्थान से रंचमात्र हटाया जाना ही चोरी का अपराध गठित कर देता है भले ही हटाने के पश्चात् सम्पत्ति को बहुत दूर न ले जाया गया हो। इतना ही नहीं इस धारा के अन्तर्गत यह भी अपेक्षित नहीं है कि सम्पत्ति को उसके स्वामी की पहुँच के बाहर या उसके रखे जाने वाले स्थान से दूर ले जाया गया हो। स्पष्टीकरण 3 तथा 4 यह दर्शाते हैं कि कुछ मामलों में किस प्रकार 'हटाया जाना' प्रभावकारी बनाया जा सकता है। दृष्टान्त (क) और (ग) स्पष्टीकरण 4 के अर्थ को सुस्पष्ट करते हैं। यदि कोई मेहमान चुराने के आशय से कमरे में रखी चादर हटाकर हाल में ले जाता है और चादर सहित घर में से निकलने के पूर्व ही पकड़ लिया जाता है तो वह चोरी के अपराध का दोषी होगा।

379. चोरी के लिए दंड- जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने , या दोनों से , दण्डित किया जायेगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

चोरी कब लूट है-चोरी "लूट" है, यदि उस चोरी को करने के लिए, या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का, या तत्काल उपहति का, या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

चोरी कब लूट है ?–निम्नलिखित परिस्थतियो में चोरी लूट होती है -

(1) जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की -

(क) म्रत्यु, या उपहती या सदोष अवरोध (restraint) या

(ख) आसन्न म्रत्यु या आसन्न उपहति या आसन्न सदोष अवरोध का भय कारित करता है या करीत करने का प्रयत्न करता है।

(2) उपरोक्त कार्य निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिया गया हो -

(क) चोरी करने के लिए, या (ख) चोरी करने में, या

(ग) चोरी द्वारा अभिप्राप्त को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Paper 6th, Paper Name- भारतीय दंड संहिता Unit -4th

(Indian Penal Code)

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्र०2 - आपराधिक न्यास्भंग और संपत्ति की बेईमानी से दुविर्नियोग में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझिये!

405. आपराधिक न्यासभंग-जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अखत्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्याय के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह "आपराधिक न्यासभंग" करता है।

(क) क एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादक होते हुए, उस विधि की, जो चीजबस्त को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निदेश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है, और उस चीजबस्त को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है ।

(ख) क भाण्डागारिक है। य यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर क के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भाण्डागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

P.G.S National College Of Law

(ग) क, जो कलकत्ता में निवास करता है, य का, जो दिल्ली में निवास करता है, अभिकर्ता है। क और य के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि य द्वारा क को प्रेषित सब राशियां क द्वारा य के निदेश के अनुसार विनिहित की जाएंगी। य, क को इन निदेशों के साथ एक लाख रुपये भेजता है कि उसको कम्पनी पत्रों में विनिहित किया जाए। क उन निदेशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और ठस धन को अपने कारबार के उपयोग में ले आता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(ङ) एक राजस्व आफिसर, क के पास लोक धन न्यस्त किया गया है और वह उस सब धन को, जो. उसके पास न्यस्त किया गया है, एक निश्चित खजाने में जमा कर देने के लिए या तो विधि द्वारा निदेशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा द्वारा आवद्ध है। क उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

(च) भूमि से या जल से ले जाने के लिए य ने क के पास, जो एक वाहक है, सम्पत्ति न्यस्त की है, क उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। क ने आपराधिक न्यासभंग किया है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

406. आपराधिक न्यासभंग के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

403. सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग-जो कोई बेईमानी से किसी जंगम सम्पत्ति का दुर्षिनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा!

उदाहरण-

(क) क, य की सम्पत्ति को उस समय जबकि क उस सम्पत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह सम्पत्ति उसी की है, य के कब्जे से सद्भावपूर्वक लेता है। क, चोरी का दोषी नहीं है। किन्तु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात् उस सम्पत्ति का बेईमानी से अपने लिए दुर्विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

(ख) क, जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहाँ, यदि क का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिए पुस्तक लेने की उसको य की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, तो क ने चोरी नहीं की है। किन्तु यदि क बाद

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिए बेच देता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

आपराधिक दुर्विनियोग के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं-

(1) किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिये बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन;

(2) ऐसी सम्पत्ति चल सम्पत्ति हो।

अपने उपयोग के लिये बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन- इस धारा में वर्णित अपराध के लिये यह आवश्यक नहीं है कि सम्पत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से लिया जाये। सम्पत्ति पर आधिपत्य निर्दोष ढंग से प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वाद में आशय परिवर्तन के कारण या किसी नये तथ्य के ज्ञान, जिससे कि पक्षकार प्रारम्भतः अवगत नहीं था, के आधार पर यदि सम्पत्ति के आधिपत्य में बनाये रखा जाता है तो ऐसा आधिपत्य सदोषपूर्ण और कपटपूर्ण बन जाता है।

चल सम्पत्ति-केवल चल सम्पत्तियाँ ही आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध की विषयवस्तु होती हैं। हिन्दू धर्म की किसी रूढ़ि के अन्तर्गत यदि किसी बैल को मुक्त विचारण हेतु छोड़ दिया गया है तो वह बैल न तो किसी की सम्पत्ति है

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

और न ही कोई व्यक्ति उस पर आधिपत्य प्रदान कर सकता है क्योंकि उसके वास्तविक स्वामी ने स्वामित्व सम्बन्धी अपने अधिकारों को त्याग दिया है और बैल को उन्मुक्त कर दिया है जिससे वह जहाँ चाहे जाये।

उदाहरण-एक मामले में अ ने ब से कुछ रुपये उधार लिया था। अने उस ऋण का भुगतान ब को कर दिया किन्तु उसने भूल से पुनः भुगतान किया। ब को या तो रुपये प्राप्त करते समय या उसके कुछ समय पश्चात् इस भूल का अहसास हो गया था फिर भी उसने रूपये अपने पास रख लिये। य को आपराधिक दुर्विनियोग के लिये दण्डनीय घोषित किया गया।

प्र०-3 किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ?

(1) डकेती (2) छल

(3) रिष्टि (4) अपकर्षण

391. डकैती-जब कि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहाँ कि वे व्यक्ति, जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह "डकैती" करता है।

पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई लूट डकैती होती हैं। जब पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर या तो लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं तभी डकैती का अपराध गठित होता है। 'संयुक्त' शब्द संव्यवहार में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों के एक होकर या सामूहिक रूप से कार्य करने को इंगित करता है। यदि उनके व्यक्तिगत कार्य . धा सामूहिक कार्य के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता हो तो यह कहा जायेगा, कि इस धारा में वर्णित अपराध कारित हुआ है।

डकैती के अपराध में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि वे या तो लूट करें या करने का प्रयत्न करें। यह धारा तभी लागू होती है जब सभी व्यक्ति लूट कारित करने के सामान्य आशय के भागीदार हों। यह भी प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिये कि अभियुक्त ने या तो लूट कारित किया या लूट कारित करने में सहायता किया और वह उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने धन का उद्दापन किया या उद्दापन में सहायता किया।

PGS National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

इस धारा के प्रयोजन हेतु अभियुक्तों की गणना करते समय उन सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये जिन्होंने सामूहिक रूप में लूट कारित किया या कारित करने का प्रयत्न किया तथा जो लूट कारित होते समय विद्यमान थे और सहायता पहुँचा रहे थे।

केसोरी पटर के वाद में इसी प्रकार केवल यह पता लगने पर कि घर में डकैती होने वाली है, घर के सभी सदस्य घर छोड़कर चले गये। तत्पश्चात् बहुत से लोगों ने घर पर धावा बोल दिया और घर में रखी सम्पत्ति उठा ले गये। यह अभिनिर्धारण प्रदान किया गया कि यह अपराध, डकैती का अपराध है, क्योंकि यह तथ्य कि घर के सदस्य क्षति या सदोष अवरोध के भय से घर छोड़कर भाग गये, इस अपराध का पर्याप्त सबूत है।

डकैती के एक प्रकरण में यदि चुराया वस्तु अभियुक्त के कथन के आधार पर घटना से तुरन्त बाद पुनः प्राप्त कर ली जाती है और यह प्राप्ति पुलिस अधिकारियों एवं उन पंचों, जिन्होंने इसी आशय का वक्तव्य दियाथा, की उपस्थिति में की जाती है तो अभियुक्त न केवल धारा 412 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा अपितु धारा 391 के अन्तर्गत भी दण्डित होगा। पंचों के साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं विशेष कर तब जबकि वस्तु एक ऐसे स्थान से प्राप्त की जाती है जहाँ सब की पहुँच नहीं है।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

395. डकैती के लिए दण्ड-जो कोई डकैती करेगा, वह आजीवन कारावास से. या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

415. छल- जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे. या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह "छल" करता है, यह कहा जाता है।

उदाहरण-

(क) क सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके साशय य से प्रवंचना करता है, और इस प्रकार बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका नहीं है। क चल करता है ।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ग) क य को किसी वस्तु का, नकली सैम्पल दिखला कर य से साशय प्रवंचना करके, उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैम्पल के अनुरूप है, और तदद्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका

मूल्य चुकाने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

(ङ) क ऐसे नगों को, जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरों के रूप में गिरवी रख कर य से साशय प्रवंचना करता है, और तद्द्वारा धन उधार देने के लिए य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

(च) क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास कराता है क को जो धन य उधार देगा उसे वह चुका देगा, और तद्द्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार दे दे, जबकि क का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है। क छल करता है।

अवयव-इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित अपेक्षित है

(1) किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया जाये,

(2) (अ) प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से,

(क) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति परिदत्त करे, या

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(ख) किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति रखने हेतु सम्पत्ति देने के लिये उत्प्रेरित किया जाये।

417. छल के लिये दण्ड- जो कोई छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.